



2026:AHC:54783

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 9992 वर्ष 2026

श्रीमती बकसुइया और 5 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और एक अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शिव बाबू दुबे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई.

न्यायालय सं - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष कुमार निगम

1. पक्षों के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ताओं की एकमात्र शिकायत यह है कि 24.11.2025 को रेलवे दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णय द्वारा दावेदार/याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 80,000/- रुपये की राशि जारी करने का निर्देश दिया गया है, जो असमान, अन्यायपूर्ण और पूरी तरह से अपर्याप्त है। यह रेलवे दुर्घटना में याचिकाकर्ता संख्या-1 के पति की मृत्यु के लिए मुआवजे के पंचाट के उद्देश्य को विफल करता है।
3. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि 12.09.2018 को हुई एक रेल दुर्घटना में, याचिकाकर्ता संख्या-1 के पति नंगु को घातक चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं ने एक दावा याचिका दायर की। दुर्घटना की घटना के लगभग सात साल बाद 24.11.2025 को यह निर्णय लिया गया है। फिर भी, उस निर्णय द्वारा, न्यायाधिकरण ने 8,00,000/- रुपये (याचिकाकर्ता संख्या-1 को 4,95,000/- रुपये और याचिकाकर्ता संख्या-2 से 6 को 45,000/- रुपये) का आदेश दिया है।



4. न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को 80,000 रुपये जारी करने का प्रावधान किया है और शेष राशि को तीन साल की अवधि के लिए सावधि जमा में जमा किया जाना है।
5. याचिकाकर्ता यांत्रिक तरीके से जारी करने के लिए निर्देशित पूरी तरह से अपर्याप्त राशि से व्यथित हैं। दिए गए कुल मुआवजे को देखते हुए, वर्तमान में 80,000/- रुपये की राशि जारी की जाएगी, हालांकि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 8,00,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता प्रदान की गई राशि का कम से कम पचास प्रतिशत जारी करने की प्रार्थना करते हैं।
6. दूसरी ओर, रेलवे के अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि पंचाट के नब्बे प्रतिशत को जारी करने पर रोक लगाने का आदेश केवल याचिकाकर्ताओं के हित में है क्योंकि ब्याज अर्जित होने पर तीन साल के बाद उन्हें अधिक राशि मिलने की संभावना है।
7. पक्षगण के लिए अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, जबकि ऐसे मामलों में सार्वभौमिक रूप से लागू सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, जहां पंचाट दिए जाने के समय आंशिक मुआवजा राशि जारी की जाती है और शेष राशि दावेदारों के लाभ के लिए निवेश की जाती है, साथ ही, इसे सभी मामलों में अंगूठे के नियम के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। उसमें, व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों को ऐसे मामलों में विवेक के प्रयोग को निर्धारित करना चाहिए। दावेदार जिसने अपने पति को खो दिया है और जिस पर कुछ निर्भरता का भी दावा किया जा सकता है, उसे मुआवजे का पंचाट अर्जित करने के लिए वर्षों तक मुकदमा चलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और फिर ऐसे दावेदार के हित में न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग करने के कारण उस मुआवजे को प्राप्त करने के लिए आगे के वर्षों तक इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
8. इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा लागू किए गए उपरोक्त सिद्धांत को व्यावहारिकता के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित राशि जारी की जा सके।
9. प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता संख्या-1 मृतक की पत्नी है और याचिकाकर्ता संख्या-2 से 6 मृतक के बच्चे हैं। उन्होंने मुआवजे के पंचाट के लिए मृत्यु की घटना से सात



साल तक इंतजार किया है। इस समय दिया गया मुआवजा भी अत्यधिक नहीं है, बल्कि 8,00,000/- रुपये की मामूली राशि है।

10. तदनुसार, दिनांक 24.11.2025 के पंचाट को संशोधित किया जाएगा।

11. याचिकाकर्ता संख्या-1 को दी गई राशि का 50% यानी 2,47,500/- रुपये और याचिकाकर्ता संख्या-2 से 6 को दी गई राशि का 50% यानी 22,500/- रुपये आनुपातिक ब्याज के साथ इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जारी किया जाए। शेष राशि का निवेश किया जाएगा और तीन साल की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्चतम असर वाली सावधि जमा में रखा जाएगा।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि पंचाट के अनुपालन में भुगतान की गई किसी भी राशि को इस आदेश के अनुसरण में जारी की जाने वाली राशि के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।

14. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश, याचिकाकर्ताओं के वृद्धि का दावा करने के अधिकार (यदि वे ऐसा उचित समझें) से स्वतंत्र रूप से पारित किया गया है।

मार्च 17, 2026

नितिका श्री।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम)